



मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन
के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु
चयन परीक्षा (द्वितीय) –2013

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	15.07.2013	
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	13.08.2013	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	14.08.2013	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	23.08.2013	
परीक्षा दिनांक व दिन	दि. 15.09.2013, रविवार	
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :-	रु. 500/-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए :-	रु. 250/-
ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- देय होगा।		

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियाँ भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
15.09.2013 रविवार	प्रातः 11:00 बजे से	प्रातः 11:00 बजे से	प्रातः 11:00 से 11:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 11:10 बजे	प्रातः 11:10 से 11:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 11:15 से 01:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में सेल्युलर, मोबाईल फोन, केलकूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र (इनमे से कोई एक-कक्षा 10 वी की फोटोयुक्त अंकसूची/आधार कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र/ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/विद्यालय या शासकीय संस्था का फोटोयुक्त पहचान-पत्र) लेकर आना अनिवार्य होगा (जिसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा), जिसके अभाव में आवेदक को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन
के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु
चयन परीक्षा (द्वितीय) –2013

विषय-सूची

स. क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1	अध्याय-1 – पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा (द्वितीय) –2013 के लिए विभागीय नियम	3-17
2	अध्याय-2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	18-24
3	अध्याय-3 – विस्तृत पाठ्यक्रम	25
4	अध्याय-4 – आवश्यक प्रमाण-पत्रों के प्रारूप	26-31

अध्याय – 1

**पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु
चयन परीक्षा (द्वितीय) –2013 के लिए विभागीय नियम**

1.1 सामान्य :-

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. पु.मु./2-चयन/स-3/499/13 दिनांक 03.07.2013 द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षक (जी. डी.), आरक्षक (रेडियो), आरक्षक (चालक) तथा आरक्षक (ट्रेड) पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष/महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.2 परिभाषायें :-

- (क) "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।
- (ख) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (ग) "अनुसूचित जन जाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (घ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक -एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में।
- (च) "मंडल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।
- (छ) "विभाग" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।
- (ज) "समिति" से अभिप्रेत है - पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित की गई चयन समिति।
- (झ) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है - मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।
- (ट) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है - पुलिस विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा।
- (ढ) "तृतीय चरण" से अभिप्रेत है - पुलिस विभाग द्वारा आयोजित वाहन चालन या ट्रेड-टेस्ट की परीक्षा।

1.3 रिक्त पदों की तालिका :-

स. क्र.	पद नाम	रिक्त पदों का विवरण										
		अनारक्षित		अजजा		अजा		अपिव		कुल		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
क	ख	ग	घ	च	छ	ज	झ	ट	ठ	ड	ढ	त
1	आरक्षक (जी.डी.)	1693	190	776	86	630	67	537	59	3636	402	4038
2	आरक्षक (चालक)	19	00	08	00	06	00	00	00	33	00	33
3	आरक्षक(ट्रेड) - कुक	02	00	01	00	02	00	00	00	05	00	05
4	आरक्षक(ट्रेड) - नाई	00	00	00	00	00	00	01	00	01	00	01
5	आरक्षक(ट्रेड) - धोबी	02	00	00	00	00	00	01	00	03	00	03
6	आरक्षक(ट्रेड) - मोची	00	00	01	00	02	00	00	00	03	00	03

7	आरक्षक(ट्रेड) – स्वीपर	02	00	00	00	01	00	00	00	03	00	03
8	आरक्षक(ट्रेड) – मेसन	00	00	00	00	01	00	00	00	01	00	01
9	आरक्षक (ट्रेड) बिगुलर	03	00	02	00	00	00	00	00	05	00	05
10	आरक्षक (ट्रेड) टेन्ट खलासी	01	00	01	00	00	00	00	00	02	00	02
	योग:-	1722	190	789	86	642	67	539	59	3692	402	4094

नोट-(1) म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 556/128/96/ब-2/दो, दिनांक 31 जनवरी 1996 के द्वारा स्वयं सेवी नगर सैनिकों को पुलिस आरक्षक की भर्ती में 15 प्रतिशत पद आरक्षित है। इस लाभ के लिये नगर सैनिक के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिये।

(2) म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 2(अ) 682/96/ब-4/2 दिनांक 16-5-97 द्वारा महिलाओं के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण 'हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेन्ट वार्डज' निर्धारित किया गया है।

(3) म0प्र0 शासन सा0प्र0विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के आसाधारण राजपत्र आदेश दिनांक 21 अप्रैल 1999 के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।

ये तीनों ही हारीजोन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जावेंगे यदि चयन सूची में पहले से ही 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक, 10 प्रतिशत महिलायें, या 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात् अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। होमगार्ड सैनिकों के लिये आरक्षण "हारीजोन्टल – ओवरअल" स्वरूप का है जबकि महिलाओं तथा भूत पूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण "हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वार्डज" स्वरूप का है। इन दो आरक्षणों में अन्तर मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी विरुद्ध भारत संघ (संदर्भ : 1992 SUPP (3) SCC-217) में स्पष्ट किया गया है। हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वार्डज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्.उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ : 1995 (2) SUPP , SCR - 396 -1995(5) SCC- 173) का अनुसरण किया जाता है।

(4) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.4 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

1.4.1 पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये।

1.4.2 किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्यक्षीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

1.4.3 ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 01 अगस्त 2013 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए।

1.4.4 स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए।

1.5 पद का वेतनमान :-

स.क्रं.	पद नाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन
1.	आरक्षक संवर्ग	रूपये 5200 – 20200	रूपये 1900/-

आरक्षक (संवर्ग) पद का वेतनमान रूपये 5200 –20200 एवं ग्रेड वेतन रूपये 1900/- होगा। समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियों देय होगी। म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम-4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

1.6 परीक्षा केन्द्र :- परीक्षा केन्द्रों का विवरण अध्याय-2 में देखें।

1.7 निर्धारित आयु सीमा :-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 अगस्त 2013 को 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

1.8 उच्चतर आयु सीमा में सामान्य छूट :-

निम्न मापदण्डों के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :

1.8.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात् इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 अगस्त 2013 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1.8.2 वे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक हैं, या मध्य प्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले शासकीय सेवक हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होगी।

1.8.3 मध्य प्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक, या मध्य प्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष रहेगी। मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

1.8.4 यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, उन्हें अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं है।

1.8.5 स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी पूरी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होना चाहिए। स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान-कमीशण्ड अधिकारियों के प्रकरण में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होगी। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

1.8.6 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात् 31 वर्ष से अधिक न हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा

कन्हीं भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।

- 1.8.7 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अर्थात् 31 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है। दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूत पूर्व सैनिकों के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।
- नोट— 1. भूतपूर्व सैनिक संवर्ग में भू-सेना, क्षेत्रीय सेना या केन्द्र शासन के पुलिस या अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व कर्मी शामिल नहीं होंगे।
2. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई। सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ, आई.टी.बीपी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है। शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमति को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 1.8.8 मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।
- 1.9 मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें —
- 1.9.1 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 1.9.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरुस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 1.9.3 “विक्रम पुरस्कार” प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 1.9.4 बिन्दु 1.9.1 से 1.9.3 तक प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी। बिन्दु 1.9.1 से 1.9.3 तक प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूट, बिन्दु 1.8.1 से 1.8.8 तक मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी।
- 1.10 बच्चे सम्बन्धी :-
कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

- 1.11 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय-3 में दर्शाए गए हैं।
- 1.12 न्यूनतम शारीरिक अर्हता :-
अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए :-
- 1.12.1 उँचाई : पुरुष – 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये, उँचाई :
पुरुष – 160 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनुसूचित जन जाति वर्ग के लिये,
महिला – 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक सभी जाति वर्ग के लिये,
- 1.12.2 सीना : पुरुष – सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये,
सीना : पुरुष – सीना बिना फुलाये 76 सेंटीमीटर/फुलाने पर 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिये,
महिलाओं के लिये सीने की कोई माप नहीं होगी,
अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक है । इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।
- 1.12.3 विशेष सशस्त्र बल के सभी पदों हेतु वि.स.बल नियम, 1973 के नियम 21 एवं 22 के प्रावधान लागू रहेंगे।
- 1.12.3 अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिये।
- 1.12.4 अभ्यर्थी में शनॉक-नी अथवा फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये । अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक है।
- नोट-(1) यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें ।
(2) चयन प्रक्रिया के दौरान पुलिस विभाग द्वारा उम्मीदवारों के ऊंचाई एवं सीने की माप नहीं ली जावेगी ।
(3) चयन प्रक्रिया के उपरान्त चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जावेगा । जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जावेंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनका नाम चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा ।
(4) न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। शारीरिक अर्हताओं में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जावेगी ।
(5) प्रक्रिया के अन्त में निराशा से बचने के लिये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं के बारे में सिविल सर्जन से नाप जोख की पुष्टि कर लें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जावेंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनका नाम चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा ।

1.13 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :-

स.क्र.	पदनाम	अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हताएँ	अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हताएँ
1	आरक्षक (जीडी), आरक्षक (रेडियो)	10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

	ऑपरेटर)		
2	आरक्षक (चालक)	10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । इसके अतिरिक्त मध्यम वाहन का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है ।	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । इसके अतिरिक्त मध्यम वाहन का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है ।
3	आरक्षक (ट्रेड) कुक, नाई, धोबी, मोची, स्वीपर, मेसन, बिगुलर, टेण्ट खलासी	10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक है ।	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक है ।

नोट— आरक्षक (चालक) के पद के लिये शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ मध्यम वाहन का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है । यहां स्पष्ट किया जाता है कि मध्यम वाहन से बड़े अर्थात् भारी वाहन का ड्रायविंग लायसेंस धारी व्यक्ति पात्र है । लेकिन मध्यम वाहन से छोटे अर्थात् हलके वाहन का ड्रायविंग लायसेंस धारी व्यक्ति पात्र नहीं है ।

1.13.1 शैक्षणिक योग्यता में छूट :-

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हो।

1.13.2 निर्धारित समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार को अवश्य होनी चाहिये, अर्थात् यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठा है और उसके पास 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।

1.14 आवेदन करने हेतु पात्रता मध्य प्रदेश पुलिस में विभाग की कार्यप्रणाली, कार्य की प्रकृति तथा आवश्यकता के आधार पर आरक्षकों को निम्नलिखित दस समूहों में विभाजित किया गया है । उम्मीदवारों की बढ़ती हुई विशाल संख्या के कारण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के आयोजन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगने वाले समय को देखते हुये दूरसंचार शाखा में आरक्षकों/प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रखते हुये सुगम बनाने के उद्देश्य से एक ही लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी । पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं के विभिन्न पदों के दस समूह नीचे तालिका के कालम 4 में दर्शाये गये हैं । दक्षता एवं कार्य कुशलता बनाये रखने के लिये एक उम्मीदवार को चयन परीक्षा में दस समूहों में से दूरसंचार शाखा के किसी भी एक समूह के पदों हेतु आवेदन करने की पात्रता होगी

स.क्र.	पदनाम	पदस्थापना की शाखाएँ	चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु समूह
1	2	3	4
01	आरक्षक (जी.डी.), जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह— A
02	आरक्षक (जी.डी.), विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह— A
03	आरक्षक (विशेष शाखा)	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह— A
04	आरक्षक (अ0अ0वि0)	अपराध अनुसंधान विभाग, राज्य	समूह— A

स.क्र.	पदनाम	पदस्थापना की शाखाएँ	चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु समूह
1	2	3	4
		अपराध अभिलेख ब्यूरो, फोटोग्राफी विंग, क्यू.डी.विंग,	
4-A	आरक्षक (रेडियो) आपरेटर	पुलिस दूरसंचार	समूह- A
4-ठ	आरक्षक (रेडियो) जीडी	पुलिस दूरसंचार	समूह- A
05	आरक्षक(चालक) जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह-B
06	आरक्षक(चालक) विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर	समूह- B
07	आरक्षक(चालक) विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह- B
7- A	आरक्षक (रेडियो) चालक	पुलिस दूरसंचार	समूह- B
7- B	आरक्षक (रेडियो) डीआर	पुलिस दूरसंचार	समूह- B
08	आरक्षक(ट्रेड)-कुक, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह-C
09	आरक्षक(ट्रेड)-कुक, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर	समूह- C
10	आरक्षक(ट्रेड)-कुक, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह- C
10- A	आरक्षक (ट्रेडमेन) कुक पुलिस दूरसंचार	पुलिस दूरसंचार	समूह- C
11	आरक्षक(ट्रेड)-नाई, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह-D
12	आरक्षक(ट्रेड)-नाई, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर	समूह- D
13	आरक्षक(ट्रेड)-नाई, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह- D
13-A	आरक्षक (ट्रेडमेन) नाई	पुलिस दूरसंचार	समूह- D
14	आरक्षक(ट्रेड)-धोबी, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह-E
15	आरक्षक(ट्रेड)-धोबी, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर	समूह- E
16	आरक्षक(ट्रेड)-धोबी, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह- E
16- A	आरक्षक (ट्रेडमेन) धोबी पुलिस दूरसंचार	पुलिस दूरसंचार	समूह- E
17	आरक्षक(ट्रेड)-मोची, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह-F
18	आरक्षक(ट्रेड)-मोची, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण	समूह-F

स.क्र.	पदनाम	पदस्थापना की शाखाएँ	चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु समूह
1	2	3	4
		महाविद्यालय इंदौर	
19	आरक्षक(ट्रेड)-मोची, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह-F
19-A	आरक्षक (ट्रेडमेन) मोची	पुलिस दूरसंचार	समूह- F
20	आरक्षक(ट्रेड)-स्वीपर, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह-H
21	आरक्षक(ट्रेड)-स्वीपर, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर	समूह-H
22	आरक्षक(ट्रेड)-स्वीपर, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह-H
22-A	आरक्षक (ट्रेडमेन) स्वीपर	पुलिस दूरसंचार	समूह-H
23	आरक्षक(ट्रेड)-मेसन, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह-J
24	आरक्षक(ट्रेड)-मेसन,विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर	समूह-J
25	आरक्षक(ट्रेड)-मेसन, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह-J
26	आरक्षक(ट्रेड)-बिगुलर, विशेष सशस्त्र बल	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह-K
27	आरक्षक(ट्रेड)-बिगुलर, विशेष शाखा	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर	समूह-K
28	आरक्षक(ट्रेड)-टेन्ट खालासी, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह-L
29	आरक्षक(ट्रेड)-टेन्ट खालासी, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर	समूह- L
30	आरक्षक(ट्रेड)-टेन्ट खालासी, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह- L

1.15 परीक्षा की योजना :-

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाने होंगे। ऑनलाईन आवेदन-पत्रों की स्क्रूटनी संबंधी आवश्यक निर्देश

अध्याय-2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

आरक्षकों की चयन परीक्षा को निम्न लिखित तीन चरणों में संपन्न कराया जावेगा :-

1. प्रथम चरण : लिखित परीक्षा – एक प्रश्न पत्र – सभी उम्मीदवारों के लिये
2. द्वितीय चरण : शारीरिक प्रवीणता परीक्षा – प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवारों के लिये,
3. तृतीय चरण : ट्रेड टेस्ट – केवल आरक्षक (चालक) तथा आरक्षक (ट्रेड) के लिये प्रथम एवं द्वितीय चरण के उपरान्त पात्र उम्मीदवारों के लिये।

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारों द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन-लाइन (M.P On-line) के माध्यम से भरे जाते हैं। किसी भी उम्मीदवार को एक आवेदन जमा करने की पात्रता है। यदि कोई उम्मीदवार एक आवेदन जमा करने बाद केन्द्र के परिवर्तन आदि के लिये दूसरा आवेदन जमा करना चाहता है तो उसे अपना पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त करना होगा, उसके बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जावेगा।

आवेदन- पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण व्यापम अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी जिसमें एक ईवेन्ट – 800 मीटर दौड़ का होगा।

यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो। यदि उम्मीदवार उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा अथवा ट्रेड टेस्ट में क्वालीफाई कर सफल होता है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता होगी।

1.15.1 प्रथम चरण – लिखित परीक्षा :-

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय, समय, अवधि एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नानुसार होंगे :-

क्रमांक	पद	प्रश्न पत्र	अवधि	अधिकतम अंक
1	आरक्षक संवर्ग	लिखित परीक्षा – एक प्रश्न पत्र	02 घंटे	100

नोट:- (क)- लिखित परीक्षा हाल में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा जिनके पास मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र होगा। परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र (इनमें से कोई एक-कक्षा 10 वी की फोटोयुक्त अंकसूची/आधार कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र/झाईविंग लायसंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/विद्यालय या शासकीय संस्था का फोटोयुक्त पहचान-पत्र) लेकर आना अनिवार्य होगा (जिसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा), जिसके अभाव में आवेदक को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।

(ख) आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।

(ग) परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(घ) लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिये आरक्षक चयन की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.15.2 अगले चरण की परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची :-

- (1) एक उम्मीदवार को दस समूहों में से दूरसंचार शाखा के एक समूह के पदों के लिये आवेदन करने की पात्रता होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों को दूरसंचार शाखा के प्रत्येक समूह के लिये जाति वर्ग के अनुसार रिक्तियों के 5 गुनी संख्या में बुलाया जावेगा।
- (2) प्रावीण्य सूची लिखित परीक्षा कुल पूर्णांक 100 एवं 200 (लिखित परीक्षा-100 एवं 200) के आधार पर उनकी प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते हैं। शेष उम्मीदवार में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के 5 गुने के लिये पृथक-पृथक सूचियाँ बनाई जायेगी।
- (3) यह सूचियाँ बनाने के बाद स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये "ओवरआल हॉरीजेटल आरक्षण" एवं भू पू0 सैनिकों के लिये "कम्पार्टमेंटवाइज हॉरीजेटल आरक्षण" को प्रभावी किया जावेगा। हारीजेन्टल ओवरआल अथवा कम्पार्टमेंट वाइज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ :1995 (2) SUPP , SCR - 396 -1995(5) SCC- 173) का अनुसरण किया जाता है।
- (4) स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये 15 % "ओवरआल हॉरीजेन्टल आरक्षण" लागू है। शासन के आदेशानुसार स्वयं सेवी नगर सैनिकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा से छूट है। अतः होमगार्ड सैनिकों की मेरिट को उनकी होमगार्ड सैनिक के रूप में सेवाकाल की अवधि के क्रम में निर्धारित करते हुये उनके लिये आरक्षित पदों के पांच गुना होमगार्ड सैनिक उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। यदि कई होमगार्ड सैनिकों का सेवाकाल बराबर पाया जाता है तो अधिक आयु वाला होमगार्ड सैनिक उम्मीदवार, कम आयु वाले वाले होमगार्ड सैनिक से मेरिट क्रम में उपर होगा।
- (5) भू0पू0 सैनिकों का 10 प्रतिशत हॉरीजेन्टल आरक्षण है, किन्तु भू0पू0 सैनिकों का आरक्षण कम्पार्टमेंट वाइज हो जाने से इनकी मेरिट सूची जाति वर्गवार बनाई जावेगी तथा 10 प्रतिशत की 5 गुनी संख्या की गणना भी जाति वर्ग वार ही होगी।
- (6) स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों एवं भू पू0सैनिकों के आरक्षण में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने से कोई भी पद 'केरीफारवर्ड' नहीं होंगे, बल्कि उस जाति वर्ग की शेष संख्या को उसी जाति वर्ग के गैर आरक्षित उम्मीदवारों जो स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिक अथवा भू पू0सैनिक नहीं हैं से पूरा किया जावेगा।
- (7) महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित पदों की 5 गुना संख्या की सूचियाँ जाति वर्ग अनुसार पृथक बनाई जावेगी। महिलाओं का आरक्षण "कम्पार्टमेंटवाइज हॉरीजेटल" आरक्षण हैं तथा योग्य महिलाएँ उपलब्ध न होने से पद "केरी फारवर्ड" नहीं किये जाते हैं। अतः जिस जाति वर्ग की योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होगी, उस जाति वर्ग की शेष संख्या को उसी जाति वर्ग के पुरुष उम्मीदवार से पूरा किया जावेगा।
- (8) म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर जाति वर्ग अनुसार रिक्त पदों के 5 गुना संख्या में रोल नम्बर के क्रम में पुलिस मुख्यालय के माध्यम से चयन समितियों को उपलब्ध कराई जावेगी। जाति वर्ग अनुसार 5 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो जावे।
- (9) लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता आयु के आधार निर्धारित की जावेगी। अर्थात् समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से उपर रहेगा।
- (10) प्रथम चरण में आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट पर पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा उपरान्त उपलब्ध रहेगा तथा इसके साथ ही द्वितीय/तृतीय चरण की तिथियों एवं केन्द्रों की जानकारी भी परिणाम के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा का परिणाम मण्डल की वेबसाईट से स्वयं डाऊनलोड करना होगा एवं उम्मीदवारों को इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा।

मण्डल की वेबसाईट से डाऊनलोड किये गये परिणाम प्रिंट को प्रस्तुत करने के उपरान्त ही द्वितीय/तृतीय चरण के लिये निर्धारित केन्द्र पर प्रवेश दिया जाएगा ।

- 1.16 द्वितीय एवं तृतीय चरण – प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट तथा ट्रेड टेस्ट :-
द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट तथा ट्रेड टेस्ट की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश में 4 केन्द्रों – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में सम्पन्न की जावेगी ।
- 1.16.1 प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समितियों के सीधे पर्यवेक्षण में की जावेगी । यह कार्यवाही प्रदेश में 4 केन्द्रों – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में सम्पन्न की जावेगी । आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करेंगे, परन्तु चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज (डाक्यूमेंट) प्रस्तुत करना होगा :-
- (1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों,
 - (2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,
 - (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,
 - (4) स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान-कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की तीन वर्ष की सेवा काल का प्रमाणपत्र,
 - (5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र,
 - (6) पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,
 - (7) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रूप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है,
 - (8) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीन कार्ड,
 - (9) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
 - (10) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट "विक्रम पुरस्कार" हेतु पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
 - (11) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,
 - (12) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये,
 - (13) आरक्षक (चालक) के पद हेतु मध्यम वाहन का ड्रायविंग लाइसेन्स अथवा उससे बड़े वाहन का ड्रायविंग लाइसेन्स,

- नोट:- 1. दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। अध्याय-3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।
2. यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो। यदि उम्मीदवार उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा अथवा ट्रेड टेस्ट में क्वालीफाई कर सफल होता है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता होगी।

1.16.2 शारीरिक प्रवीणता टेस्ट :

शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में केवल एक ईवेंट 800 मीटर दौड़ का रहेगा। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेंगे यह केवल क्वालीफाईंग होगी। इस 800 मीटर दौड़ में क्वालीफाई करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित हैं :-

स.क्र.	पद नाम	800 मीटर दौड़ में सफल होने हेतु समय-सीमा
01	पुरुष आरक्षक (जीडी), आरक्षक (रेडियो) आपरेटर,	02 मिनट 45 सेकण्ड
02	पुरुष आरक्षक (चालक)	03 मिनट 00 सेकण्ड
03	पुरुष आरक्षक (ट्रेडमेन)	03 मिनट 00 सेकण्ड
04	महिला आरक्षक समस्त पद	04 मिनट 00 सेकण्ड
05	होमगार्ड आरक्षक (रेडियो) आपरेटर आरक्षक (जीडी) आरक्षक (चालक) आरक्षक (ट्रेडमेन)	03 मिनट 15 सेकण्ड
06	होमगार्ड महिला, समस्त पद	04 मिनट 00 सेकण्ड
07	भूतपूर्व सैनिक पुरुष आरक्षक (रेडियो) आपरेटर आरक्षक (जीडी) आरक्षक (चालक) आरक्षक (ट्रेडमेन)	03 मिनट 15 सेकण्ड

नोट:- शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी। उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। उम्मीदवारों को उनकी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

1.16.3 ट्रेड टेस्ट/वाहन चालन का टेस्ट :-

आरक्षक ट्रेडमेन/चालक के लिये ट्रेड टेस्ट/वाहन चालन का टेस्ट क्वालीफाईंग स्वरूप का होगा। ट्रेड टेस्ट/वाहन चालन की वीडियोग्राफी कराई जायेगी।

1.17 परीक्षा परिणाम की घोषणा -

1.17.1 चयन सूची: (लिखित परीक्षा-कुल पूर्णांक 100 एवं 200) लिखित परीक्षा के प्राप्तांको तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा/ट्रेड टेस्ट में सफल हुये उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते हैं। शेष उम्मीदवार में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक-पृथक सूचियाँ बनाई जायेगी।

1.17.2 यह सूचियाँ बनाने के बाद होमगार्ड के लिये "ओवरऑल हॉरीजेण्टल आरक्षण" एवं भ0 पू0 सैनिकों के लिये "कम्पाटमेंटवाइज हॉरीजेण्टल आरक्षण" को प्रभावी किया जाता है। हॉरीजेण्टल एवं कम्पाटमेंट वाइज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्.उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ : 1995 (2) SUPP, SCR - 396 -1995(5) SCC- 173) का अनुसरण किया जाता है।

स्वयं सेवी नगर सैनिकों के लिये 15 % "ओवरऑल हॉरीजेण्टल आरक्षण" लागू है। शासन के आदेशानुसार स्वयं सेवी नगर सैनिकों के चयन लिए लिखित परीक्षा से छूट है। अतः होमगार्ड सैनिकों की मेरिट को उनकी होमगार्ड सैनिक के रूप में सेवाकाल की अवधि के क्रम में निर्धारित करते हुये बनाई

जावेगी। यदि कई होमगार्ड सैनिकों सेवाकाल बराबर पाया जाता है तो अधिक आयु वाला होमगार्ड सैनिक उम्मीदवार, कम आयु वाले वाले होमगार्ड सैनिक से मेरिट क्रम में उपर होगा।

भू0पू0 सैनिकों का 10 प्रतिशत हॉरीजेण्टल आरक्षण है, किन्तु भू0पू0 सैनिकों का आरक्षण कम्पार्टमेंटवाइज हो जाने से इनकी मैरिट सूची जाति वर्गवार बनाई जावेगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जाति वर्ग वार ही होगी।

प्रतिस्थापना की कार्यवाही भी केवल उसी वर्ग में होगी, जिसमें 10 प्रतिशत की संख्या पूरी नहीं होती है। होमगार्ड एवं भू0पू0 सैनिकों के आरक्षण में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने से कोई भी पद 'केरीफारवर्ड' नहीं होंगे, बल्कि ऐसे पद उसी जाति वर्ग के अन्य उपलब्ध उम्मीदवारों से भरे जावेगें।

- 1.17.3 महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित पदों के अनुसार पृथक सूचियां बनाई जावेगी। महिलाओं का आरक्षण "कम्पार्टमेंटवाइज हॉरीजेण्टल आरक्षण हैं" और योग्य महिलाए उपलब्ध नहीं होने से पद "केरी फारवर्ड" नहीं किये जाने हैं। अतः जिस जाति वर्ग की योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होगी उस पद को उसी जाति वर्ग के पुरुष उम्मीदवार से भरा जावेगा।
- 1.17.4 लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता आयु के आधार निर्धारित की जावेगी, अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से उपर रहेगा।
- 1.17.5 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित उम्मीदवारों की तैयार की गई सूची को मण्डल की वेब साइट पर उपलब्ध कराया जावेगा। मण्डल द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा में उक्त सूची में चयनित उम्मीदवारों से ईकाई में पदस्थापना की प्राथमिकता क्रम का विकल्प, एम.पी.आन-लाइन के पोर्टल के माध्यम से लिया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों को एम.पी.आन-लाइन का शुल्क जमा करना होगा।

1.18 ईकाई में पदस्थापना दर्शाने वाली अंतिम चयन सूची :-

- 1.18.1 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों को उनके मेरिट क्रम में उनके दर्शाई गयी ईकाईयों के प्राथमिकता क्रम में उपलब्ध रिक्त स्थान पर नियुक्ति प्रस्तावित करते हुये चयन सूची तैयार की जावेगी। यह चयन सूची पुलिस जोन वार एवं जिलावार बनाई जावेगी। किसी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय पुलिस मुख्यालय का होगा।
- 1.18.2 चयन समिति द्वारा सूची के अनुमोदन उपरान्त म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों का नाम एवं परिणाम उनकी वेब साइट पर उपलब्ध कराया जावेगा। चयन सूची की एक प्रति तत्काल पुलिस मुख्यालय भिजवाई जावेगी तथा संबंधित जोन एवं इकाई के नोटिस बोर्ड पर भी अबिलंब चस्पा की जावेगी।
- 1.18.3 चयन समितियों को यह अधिकार होगा यदि किसी इकाई के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सफल उम्मीदवारों के विकल्प नहीं प्राप्त होते हैं, तो सफल उम्मीदवारों की सूची से किसी विशिष्ट इकाई का विकल्प नहीं देने वाले उम्मीदवारों की पदस्थापना कर सकेगी।

1.19 यात्रा किराया :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को द्वितीय/तृतीय चरण में सम्मिलित होने पर यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति पुलिस विभाग द्वारा दी जायेगी।

1.20 चरित्र सत्यापन :-

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही सही जानकारी भरना चाहिये, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नम्बर 12 में सही सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है। यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी।

यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्ति अथवा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी। ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.21 स्वास्थ्य परीक्षण :-

उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जावेगा जिसमें उसे पुलिस सेवा के लिये निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। जिला मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार को शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.22 चयन सूची से नियुक्ति -

सीधी भर्ती के लिये उपरोक्त बिन्दु 1.17 के अन्तर्गत बनाई गई चयन सूची से ही नियुक्ति की जावेगी। नियुक्ति आदेश चयन सूची में वरिष्ठता के क्रम में जारी किये जावेगे। नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत रिमार्क न होने और स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पूर्ण रूप से फिट होने पर ही उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी कर पुलिस लाइन अथवा सम्बन्धित कार्यालय में आमद देने का आदेश दिया जावेगा।

1.22.1 नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

1.22.2 जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

1.22.3 निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

1.22.4 प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा।

1.22.5 जो उम्मीदवार जिस ईकाई में नियुक्त किया जावेगा वहां उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य ईकाई में स्थानान्तरण का पात्र हो सकेगा।

1.22.6 चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू), लोकायुक्त, अथवा ऐसी अन्य संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

1.23 सामान्य निर्देश :-

उपरोक्त नियमों के सम्बन्ध में किसी संशय अथवा विवाद की स्थिति में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी स्थायी राजपत्र आदेश (G.O.P.) क्रमांक 137/2012 दिनांक 30/07/2012 में अंकित प्रावधान अंतिम रूप से मान्य होंगे। यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण व्यापम अथवा अन्य किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवार को उसके मूल प्रमाण पत्रों की जांच में, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में, जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले

स्वास्थ्य परीक्षण में तथा चरित्र सत्यापन में सफल एवं योग्य होना आवश्यक है । उम्मीदवारों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूणतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

अति.पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :-

- 2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें विभिन्न पदों के दस समूह रहेंगे, जिसमें से आवेदक को अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए किसी एक समूह के लिये आवेदन करने की पात्रता होगी। आवेदक द्वारा भरे गये एक समूह के विकल्प के अनुसार ही परीक्षा एवं परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी। आवेदक को विभिन्न श्रेणी के एवं विभिन्न स्थानों के पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

पदनाम

आरक्षक (जीडी), आरक्षक (रेडियो ऑपरेटर)
आरक्षक (चालक), आरक्षक (रेडियो एम.टी.), आरक्षक (रेडियो डी.आर.)
आरक्षक (ट्रेड): कुक/नाई/धोबी/मोची/स्वीपर/मेसन/बिगुलर/टेण्ट खलासी

ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश/चयन निरस्त किया जा सकेगा।

- 2.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (1) वेबसाइट www.vyapam.nic.in अथवा www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (2) पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा (द्वितीय) -2013 ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नकद निर्धारित शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ी जाति के लिए 500/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 250/- देय होगा। इसके अतिरिक्त क्योस्क शुल्क रु. 50/- का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

- 2.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

- 2.4 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा। विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम. पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा

नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2.5 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) फोटोग्राफ 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. आकार का रंगीन, अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (ii) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
- (iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु, अंग्रेजी के कॅपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।
- (vii) उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड की फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान तीनों की एक ही इमेज jpg फॉर्मेट में स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

2.6 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

2.6.1 ऑनलाईन आवेदन 15.07.2013 से 13.08.2013 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

2.6.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :- (अ) इंटरनेट कॅफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की विधि :

2.6.2.1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा (द्वितीय) -2013 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/**Instructions** तथा परीक्षा नियम/**Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

2.6.2.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान तीनों की एक इमेज तैयार करने हेतु **Link** के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान अंगूठे का निशान, फोटो चिपकाएं तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर **jpg** फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (**Attach**) करें।

2.6.2.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र

क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

❖ क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग।

2.6.2.4 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.6.2.5 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.6.3 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक द्वारा आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.6.3.1 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

नोट:- ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. Online के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.7 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था :-

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- 2.7.1 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- 2.7.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु.100/- एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- 2.7.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- 2.7.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- 2.8 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर नियमपुस्तिका में उल्लेखित निर्धारित मापदंड के अनुरूप न होने अथवा फोटो व हस्ताक्षर अनुपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र को निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र अमान्य होने की जानकारी प्रवेश-पत्र में मण्डल की वेबसाइट पर दी जायेगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा।

2.09 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- 2.10 परीक्षा शहर :-
प्रथम चरण के अन्तर्गत आयोजित लिखित परीक्षा मध्यप्रदेश के 50 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जायेगी । विशेष परिस्थितियों में म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल इसे संभागीय मुख्यालयों तक सीमित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।
- 2.11 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-
परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र (इनमें से कोई एक-कक्षा 10 वी की फोटोयुक्त अकसूची/आधार कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र/ड्राईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/विद्यालय या शासकीय संस्था का फोटोयुक्त पहचान-पत्र) लेकर आना अनिवार्य होगा (जिसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा), जिसके अभाव में आवेदक को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा ।
- 2.12 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है ।

- 2.13 लिखित परीक्षा का विवरण :-

क्रं.	विषय	दिनांक	दिन	अवधि		अधिकतम अंक
1.	आरक्षक संवर्ग पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा	15.09.2013	रविवार	02 घंटे	11:00 AM to 01:15 PM	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा ।

- 2.14 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- (क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क ।
 (ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना ।
 (ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना ।
 (घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना ।
 (ङ) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना ।
 (च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना ।
 (छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना ।
 (ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
 (झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
 (ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
 (ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की

उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2.15 मूल्यांकन पद्धति :-

आरक्षक संवर्ग के प्रश्न-पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.16 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 81 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{81 \times 100}{(100 - 2)} = 82.65 = \text{Round Off } 83$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.17 प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप-5 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में

आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

2.18 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :-

- (1) मॉडल आंसर्स :- परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां निर्धारित प्रारूप-6 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (2) फायनल आंसर्स :- प्रारूप 05 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 06 में मंडल द्वारा प्रदर्शित मॉडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को "की" समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। "की" समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों से संबंधित प्रश्नों/उत्तरों के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 2.16 अनुसार "की" समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगे। "की" समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

2.19 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

अध्याय-1 एवं 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (Subject wise Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

2.20 अंक सूची :-

पुलिस विभाग के दिशा निर्देश पर परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड की जा सकेगी। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.21 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.22 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

अध्याय – 3

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की आठवीं कक्षा के स्तर के होंगे।

- (अ) सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक
- (ब) बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि 30 अंक
- (स) विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक

अध्याय-4
प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :-

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये -

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र-नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पिता/पति का नामनिवासी/ग्राम/नगर
विकास खण्ड तहसील.....जिला.....संभाग.....
जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह
जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...
पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नामअनुसूचित जाति/
जनजाति का/की हैं।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

प्रारूप-2

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:-

1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार।

अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये -

(अस्थायी प्रमाण पत्र) नियम 8 (2)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति
का नामनिवासी/ग्राम/नगरवि.ख.तहसील.....
जिला..... संभाग.....जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस
जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित
जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....
पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नाम
अनुसूचित जाति/जनजाति का/की हैं।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल
वार्षिक आय रुपये.....है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप
(स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का...
..... नामनिवास/ग्राम/नगर वि.ख.....तहसील.....जिला..
..... संभाग.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो..... जाति के हैं,
जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की
अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।
श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नामऔर/उनका परिवार
सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिलासंभाग.....में निवास करता है। यह भी प्रमाणित
किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं
आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.)
दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप
क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) में
किया गया है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारीके परिवार की कुल वार्षिक
आय रुपये.....है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।
प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास
करता है।
जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य
प्राधिकृत अधिकारी।

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
(अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नामनिवास/ग्राम/नगरवि.ख.....तहसील.....जिला.....संभाग.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है। श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नामऔर/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिलासंभाग में निवास करता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारीके परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता है। संबंधित राजस्व अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

नोट : वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

प्रारूप-5
(देखें नियम 2.17)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....

स्थान

दिनांक

प्रारूप-6
(देखें नियम 2.18)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक

सहमति प्रमाण-पत्र

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा (द्वितीय) –2013 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय-1, 2 व 3 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण-पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल,

दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
 नाम :.....
 पदनाम :.....
 सील :.....
